134

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2017/ 36141 दिनांकः– 7/2/2018

जिला रजिस्ट्रार, (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला समस्त

विषयः–मोबाईल नम्बर की अनिवार्यता के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वेबपोर्टल 'पहचान' पर ई–साईन/डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों को OTP द्वारा डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। परन्तु देखने में आया है कि रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टिंग फॉर्म में मोबाईल नम्बर की पूर्ति नही कराई जा रही है जिसके फलस्वरूप आमजन उक्त सुविधा का लाभ नही उठा पा रहे है, जिसे मुख्य रजिस्ट्रार ने गम्भीरता से लेते हुए वेबपोर्टल 'पहचान' पर रिपोर्टिंग फार्मस में मोबाईल नम्बर के कॉलम की पूर्ति अनिवार्य किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः उक्तानुसार समस्त रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को भी निर्देशित करावें की भविष्य में रिपोर्टिंग फॉर्मस में मोबाईल नम्बर की पूर्ति के बिना प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सम्भव नही होगा।

भवदीय,

(डॉ. सुरेश कुमार)
उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप निदेशक (जीवनांक)